

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल : dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष : 0135-2608763, फ़ैक्स : 0135-2608746

पत्र संख्या-27प/पी0पी0पी0/5/2020/

दिनांक- अगस्त, 2022

प्रेस विज्ञप्ति/विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 108 आपातकालीन सेवाओं के अन्तर्गत पुरानी 25 (108 एम्बुलेन्स वाहनों) को दिनांक 20.08.2022 को समय अपराह्न 03:00 बजे नियमानुसार निष्प्रयोज्य/नीलाम कराया जाना प्रस्तावित है। नीलाम किये जाने वाले वाहन निम्न प्रकार हैं।

| क्र0स0  | वाहन संख्या | पंजीकरण तिथि | वाहन द्वारा चलित कि0मी0 | मूल्यांकन धनराशि |
|---------|-------------|--------------|-------------------------|------------------|
| 1       | UKO7GA0064  | 08/05/2008   | 451236                  | 1,80,000/-रु     |
| 2       | UKO7GA0113  | 10/05/2008   | 549818                  | 1,71,000/-रु     |
| 3       | UKO7GA0137  | 10/08/2008   | 465308                  | 1,75,000/-रु     |
| 4       | UKO7GA0138  | 14/08/2008   | 451635                  | 1,81,000/-रु     |
| 5       | UKO7GA0159  | 25/08/2008   | 486137                  | 1,72,000/-रु     |
| 6       | UKO7GA0164  | 27/08/2008   | 525553                  | 1,70,000/-रु     |
| 7       | UKO7GA0205  | 04/11/2008   | 533852                  | 1,71,000/-रु     |
| 8       | UKO7GA0230  | 29/11/2008   | 542683                  | 1,70,000/-रु     |
| 9       | UKO7GA00231 | 29/11/2008   | 604537                  | 1,71,000/-रु     |
| 10      | UKO7GA00245 | 06/12/2008   | 520772                  | 1,73,000/-रु     |
| 11      | UKO7GA0249  | 19/12/2008   | 475014                  | 1,75,000/-रु     |
| 12      | UKO7GA0526  | 04/02/2010   | 563468                  | 1,70,000/-रु     |
| 13      | UKO7GA0531  | 04/02/2010   | 608483                  | 1,70,000/-रु     |
| 14      | UKO7GA0533  | 04/02/2010   | 450041                  | 1,73,000/-रु     |
| 15      | UKO7GA0535  | 04/02/2010   | 460335                  | 1,71,000/-रु     |
| 16      | UKO7GA0538  | 04/02/2010   | 592589                  | 1,70,000/-रु     |
| 17      | UKO7GA0542  | 04/02/2010   | 561368                  | 1,71,000/-रु     |
| 18      | UKO7GA0575  | 20/04/2010   | 203270                  | 45,100/-रु       |
| 19      | UKO7GA0577  | 20/04/2010   | 266819                  | 44,500/-रु       |
| 20      | UKO7GA0579  | 20/04/2010   | 199702                  | 46,000/-रु       |
| 21      | UKO7GA0581  | 20/04/2010   | 171809                  | 45,000/-रु       |
| 22      | UKO7GA0580  | 20/04/2010   | 117785                  | 48,000/-रु       |
| 23      | UKO7GA0602  | 19/05/2010   | 478004                  | 1,71,000/-रु     |
| 24      | UKO7GA0606  | 19/05/2010   | 537059                  | 1,70,000/-रु     |
| 25      | UKO7GA0635  | 26/05/2010   | 470570                  | 1,72,000/-रु     |
| कुल योग |             |              |                         | 36,75,600/-      |

इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त तिथि एवं समय पर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून, में उपस्थित होने का कष्ट करें। नीलामी के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की वेबसाईट [www.health.uk.gov.in](http://www.health.uk.gov.in) पर अवलोकन किया जा सकता है।

नीलामी की निम्नलिखित शर्तें होंगी:-

- नीलामी प्रक्रिया महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड में दिनांक 20.08.2022 को अपराह्न 03:00 बजे आरम्भ की जायेगी।
- नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के पास पैन कार्ड/आधार कार्ड/जी0एस0टी0 होना अनिवार्य है तथा नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को नीलामी की तिथि से पूर्व दिनांक 19.08.2022 को प्रातः 10:30 बजे से सांय 05:00 तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून, के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के पास 25 वाहन हेतु कुल आरक्षित धनराशि रु0 36,75,600/-का 10 प्रतिशत (3,67,560/-) की धरोहर राशि डी0डी0/एफ0डी0आर के रूप में जमा कराकर टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिस बोलीदाता के नाम नीलामी छूटेगी को छोड़कर शेष बोली दाताओं की उक्त धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- वाहन जैसा है जहां है, जिस स्थिति में है, तथा जितनी संख्या में है एक साथ नीलाम होगा। नीलामी से पूर्व वाहन का निरीक्षण महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित तिथि 10.08.2022 एवं 12.08.2022 को प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक स्थान कैम्प कार्यालय 107 चन्द्र नगर में किया जा सकता है।
- चयनित बोलीदाता को नीलामी के बाद 50 प्रतिशत धनराशि उसी समय जमा करनी होगी। शेष धनराशि 03 दिवस के अन्दर मय जी0एस0टी0 जमा कराकर वाहन को ले जाया जा सकता है।
- अन्तिम बोली दाताओं को बोली धनराशि के अतिरिक्त नियमानुसार (वैट/जी0एस0टी आदि) व्यापार कर जमा करना अनिवार्य होगा।
- यदि नीलामी की धनराशि 03 दिवस के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, और वाहन को पुनः नीलाम करा दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित बोलीदाता का होगा।
- नीलामी के सम्बन्ध में सर्वाधिकार नीलामी, समिति के अध्यक्ष, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पास सुरक्षित रहेगा।
- कुल 25 वाहन की नीलामी एक साथ होगी। बोलीदाता को एक टोकन आवश्यक प्राप्त करना होगा।
- नीलामी से सम्बन्धित अन्य जानकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त की जा सकती है।

महानिदेशक  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड देहरादून।